न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 231 / 2022

GCMS No- 2022/670

बाबुलाल पिता नारायण जी जाति नाई आयु 65 साल निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री कालुराम पिता हेमराज जी जाति कुलमी आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज
2. श्री किशोर पिता जगदीश जी जाति नाई आयु वयस्क निवासी डिकेन हा०मु० अरनोदा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज ।
3. श्री पवन पिता जगदीश जी जाति नाई आयु वयस्क निवासी डिकेन हा०मु० अरनोदा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज ।
4. श्री बंशीलाल पिता हेमराज जी जाति कुलमी आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज ।
5. श्री भगवतीप्रसाद पिता भवरलाल जी जाति कुलमी आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज।
6. श्री मुरलीप्रसाद पिता भंवरलाल जी जाति कुलमी आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ राज ।
7. सरेकुंवर पुत्री हेमराज जी जाति कुलमी आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज. ।
8. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री देवीलाल गायरी – अधिवक्ता प्रार्थी

::निर्णय:: दिनांक 04.05.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य की आराजीयात [illegible] प०ह0 अरनोदा तह० निम्बाहेड़ा में खाता संख्या नया 90 की आराजी [illegible] रकबा 0.0100 है0 गे मु. चाह, आराजी न0 1870 रकबा 2.5200 व कुल [illegible] रकबा 2.53 हैक्टेयर स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2077 से 2080 (ता[illegible]20 से स्थायी) पेश है।
2. यह कि उक्त आराजीयात में प्रार्थी बाबुलाल पिता नारायण जी नाई की [illegible] से पहले जाति नाई दर्ज थी तथा संवत् 2042–45 [illegible] भी प्रार्थी बाबुलाल की जाति नाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:06:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज थी तथा वक्त सैटलमेंट प्रार्थी की जाति नाई की जगह कुलमी अंकित कर दी गई जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। प्रार्थी के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी जाति नाई अंकित है। तथा नकल जमाबन्दी व राजस्व रेकॉर्ड में जाति नाई की जगह कुलमी अंकित होने के कारण प्रार्थी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड रहा है। उक्त गलती राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय त्रुटि के कारण हुई है। प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2042–45 संवत् 2046–49 व संवत् 2070–73 एवं नकल जमाबन्दी संवत 2077–80, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व वक्त सैटलमेंट की नकल जमाबन्दी की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया तहसीलदार निम्बाहेड़ा से करवाई गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट मय पर्चा एवं दस्तावेज के इस कार्यालय को प्रस्तुत की। भू0अ0 निरीक्षक अरनियाजोशी की रिपोर्ट अनुसार संलग्न नकल जमाबन्दी रोटेशन 2042–2045 कि जमाबन्दी के खाता संख 295 में खातेदार की जाति नाई दर्ज थी। वक्त रोटेशन 2056 से 2049 में कजोड पिता केशु का 1/5 हिस्सा क्रेता हेमराज पिता रामरतन कुलमी के नाम दर्ज हुआ था। अतः आगामी रोटेशन में बाबुलाल पिता नारायण की जाति भी नाई के बजाय कुलमी दर्ज हो गयी थी अतः बाबुलाल पिता नारायण की जाति कुलमी के बजाय जाति नाई दर्ज किया जाना उचित है।

4. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, में इनकी जाति नाई दर्ज है। एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तहसीलदार द्वारा इनकी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी श्री बाबुलाल पिता नारायण जी जाति नाई निवासी अरनोदा कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, प्रार्थी का शपथ पत्र एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजो के आधार पर खातेदार श्री बाबुलाल पिता नारायण जी जाति कुलमी के बजाय सही जाति नाई दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

5. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 राजस्व ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा के नया खाता सं0 90 में प्रार्थी श्री बाबुलाल पिता नारायण पिता जाति कुलमी निवासी अरनोदा के स्थान पर प्रार्थी खातेदार की जाति श्री बाबुलाल पिता नारायण जाति नाई दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2023 को कैम्प कोर्ट अरनोदा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

([illegible] पुनाड़ियाँ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:06:18 IST
Reason: SelfAttested